

स्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

242
 30/3/2019 :- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू. अ. नि. दफ्तों की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमावन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सियाणा भाटिया	122	गिरसीलाल नन्दलाल पिं हेगराज बहिव 1/6 हिं अम्नी बेवा नेतारान 1/6 हिं जोपीलाल तल बीशारान 1/6 हिं - बालकिशान गोबिलाल पिं 2/27 हिं बहिव गोबिलाल तल मोतीलाल 1/6 हिं मनोहरलाल सुरजमल पिं सुशालीरान बहिव 1/6 हिं कौम गुरुश पालीवाल सा. ससू	गिरसीलाल नन्दलाल पिं हेगराज बहिव 1/6 हिं मुं अम्नी बेवा नेतारान 1/6 हिं तल बीशारान 1/6 हिं बालकिशान गोबिलाल पिं किशोरीलाल 2/27 हिं बहिव गोबिलाल तल मोतीलाल 1/6 हिं मनोहरलाल सुरजमल पिं सुशालीरान बहिव 2/9 हिं तेजापल धन्तरपाल पिं रानन्द बहिव 1/2 हिं कौम गुरुश पालीवाल सा. ससू

उपखण्ड अधिकारी
 कोलार जिला-बिकानेर
 उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर
 दिनांक :-

क्रमांक :-
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 कोलार जिला-बिकानेर
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर